



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 12, 1992/माघ 23, 1913
No. 66] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 1992/MAGHA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन संजालय

प्रधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1992

मा. का. नि. 95(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 1992 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 3 के उपनियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“(6) उपनियम (3) में किसी बात के होते हुए भी कोई उद्योग, प्रचालन या प्रक्रिया जिसमें 16 मई, 1981 या उसके पूर्व उत्पादन प्रारम्भ हो गया है और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभाधानप्रद रूप में समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर

द्विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए सुविधाएँ स्थापित करने के लिए कम से कम मौखिक कार्य के प्रारम्भ होने के पर्याप्त सक्षम दर्शाए गए हैं 31 दिसम्बर, 1993 तक ऐसे मानकों का पालन करेंगे।

(7) उप नियम (3) या उप नियम (6) में किसी बात के होते हुए, कोई उद्योग, प्रचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई 1981 के बाद किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पहले उत्पादन शुरू कर दिया हो और एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए सुविधाएँ स्थापित करने के लिए वास्तविक कार्य शुरू होने का पर्याप्त प्रमाण दिखाकर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संतुष्ट कर दिया हो, ऐसे मानकों का पालन करेगा।

[सं. क्यू. 14011(1)/90—पीपीए]
मृकुच सतवाल, मयुक्त सचिव

पाद-टिप्पणी :

विनांक 19 नवम्बर, 1986 के का. भा. सं. 844(ई) के अनुसार प्रकाशित प्रमुख नियमावली। विनांक 16-2-1987 के का. भा. सं. 82(ई), विनांक 16-4-1987 के का. भा. सं. 393 (ई), विनांक 18-4-1987 के का. भा. सं. 443(ई), विनांक 18-1-1988 के का. भा. सं. 64(ई), विनांक 12-9-1988 के का. भा. नि. सं. 919(ई) विनांक 3-1-1989 के का. भा. सं. बी (ई), विनांक 24-10-1989 की जी. एस. आर. सं. 913 (ई), विनांक 24-10-1989 का का. भा. सं. 914(ई), विनांक 25-12-1989 की जी. एस. आर. सं. 1063 (ई), विनांक 27-10-1989 का का. भा. नि. सं. 931(ई) विनांक 8-1-1990 के का. भा. सं. 12(ई), विनांक 5-2-1990 की जी. एस. आर. 54(ई), विनांक 30-8-1990 की जी. एस. आर. सं. 742 (ई), तथा विनांक 16-1-1991 के का. भा. सं. 23 (ई) तथा 21 फरवरी, 1991 की जी. एस. आर. सं. 93(ई) के अनुसार प्रकाशित संशोधन नियमावली।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 1992

G.S.R. 95 (E):—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 1992.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Environment (Protection) Rules, 1986, after sub-rule (5), the following sub-rules shall be added, namely:

“(6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), an industry, operation or process which has commenced production on or before 16th May, 1981 and has shown

adequate proof of atleast commencement of physical work for establishment of facilities to meet the specified standards within a time-bound programme, to the satisfaction of the concerned State Pollution Control Board, shall comply with such standards latest by the 31st day of December, 1993.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) or sub-rule (6) an industry, operation or process which has commenced production after the 16th day of May, 1981 but before the 31st day of December, 1991 and has shown adequate proof of at least commencement of physical work for establishment of facilities to meet the specified standards within a time-bound programme, to the satisfaction of the concerned State Pollution Control Board, shall comply with such standards latest by the 31st day of December, 1992.”

[No.Q-14011(1)/90-CPA]
MUKUL SANWAL, Jt. Secy.

FOOT NOTE Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 844 (E), dated the 19th November, 1986. Amending Rules were published vide S.O. No. 82 (E) dated 16th February, 1987 S.O. 393(E) dated 16th April 1987; S.O. 443(E) dated the 18th April, 1987 S.O. 64(E) dated the 18th January, 1988; G.S.R. 919(E) dated the 12th September, 1988; S.O. 8(E), dated the 3rd January, 1989; GSR 913(E) dated the 24th October, 1989, S.O. 914(E) dated the 24th October 1989; G.S.R. 931(E) dated the 27th October, 1989; GSR 1063(E) dated the 25th December, 1989; S.O. 12(E) dated 8th January, 1990; GSR 54(E) dated 5th February, 1990; GSR 742(E) dated 30th August, 1990; S.O. 23(E) dated 16th January 1991 and GSR 93(E) dated 21st February, 1991.